अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

विद्युत भवन, हाथी भाटा पॉवर हाउस, जयपुर रोड अजमेर

Fax/Ph No.-0145-2632462/2426983 E-mail:-se_plan@rediffmail.com

क्र. अविविनिलि/अ.अ.(योजना)/अजमेर/आर.ई/ प्रे. 8478 दि. 24.03.2011

कार्यालय आदेश–858

विषयः–वर्ष 2011–12 में कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में।

राज्य सरकार ने अपने पत्रांक एफ 12(6)ऊर्जा/04 दिनांक 09.03.11 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण 2011–2012 में की गई घोषणानुसार 65 हजार कृषि कनेक्शन जारी करने व 1 जनवरी 2008 से 31 दिसम्बर 2008 तक कृषि हेतु प्राप्त लम्बित प्रार्थना पत्रों के मांग पत्र वर्ष 2011–2012 में दो चरणों में (50 प्रतिशत हर चरण में) जारी करने हेतु निर्देश दिये हैं।

उक्त संदर्भ मे डिस्कॉम कोरर्डिनेशन फोरम की बैठक दिनांक 17 व 22 मार्च को चर्चा हुई। वितरण निगमों में उपलब्ध सीमित मानव शक्ति, संसाधनों और सामान की उपलब्धता देखते हुये वर्ष 2011–2012 में कृषि कनेक्शन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के मांग पत्र निम्नानुसार दो चरणों में जारी करने हेतु निर्णय लिया गया।

1. प्रथम चरण में दिनांक 01.01.2008 से 30.09.2008 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के मांग पत्र 16 अप्रैल 2011 से 15 अगस्त 2011 के बीच निम्न प्रकार से जारी किये जायेंगेः–

(1) 25 प्रतिशत	16 अप्रैल 2011 से 15 मई 2011 तक
(2) 25 प्रतिशत	16 मई 2011 से 15 जून 2011 तक
(3) 25 प्रतिशत	16 जून 2011 से 15 जुलाई 2011 तक
(4) 25 प्रतिशत	16 जुलाई 2011 से 15 अगस्त 2011 तक

2. द्वितीय चरण में 01.10.2008 से 31.12.2008 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के मांग पत्र 16 सितम्बर 2011 से 15 जनवरी 2012 के बीच निम्न प्रकार जारी किये जायेंगें।

(1) 25 प्रतिशत	16 सितम्बर 2011 से 15 अक्टूबर 2011 तक
(2) 25 प्रतिशत	16 अक्टूबर 2011 से 15 नवम्बर 2011 तक
(3) 25 प्रतिशत	16 नवम्बर 2011 से 15 दिसम्बर 2011 तक
(4) 25 प्रतिशत	16 दिसम्बर 2011 से 15 जनवरी 2012 तक

3. समस्त अनुसूचितजाति के आवेदकों तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदकों तथा अन्य आवेदक जिन्हें तुरंत प्राथमिकता के आधार कृषि कनेक्शन देय है, के मांग पत्र निम्नानुसार जारी किये जायेंगेः–

(1) 31.03.11 तक प्राप्त सभी आवेदनों के – 16 अप्रैल से 15 मई 2011 के मध्य

(2) 01.04.11 से 31.08.11 तक प्राप्त आवेदन के – 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2011 के मध्य

अन्य शर्तें व नियम निगम से पूर्व में जारी आदेश क्र. आर.ई.अज–181 दिनांक 25.03.09 के अनुरुप ही रहेंगें

21/11

(ई. आर. डी. गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. सलाहकार (मानिटरिंग), माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
4. प्रबंध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
5. निदेशक (वित्त/तकनीकि), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
6. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
7. मुख्य अभियन्ता (पवस) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/झुंझुनू।
8. उप मुख्य अभियन्ता (पवस), अविविनिलि, उदयपुर
9. मुख्य लेखाधिकारी (लेखा/रेवेन्यु/आई.ए.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
10. सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
11. अधीक्षण अभियन्ता (पवस/), अ.वि.वि.नि.लि., ——————————।
12. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
13. प्रावेधिक–सहायक, प्रबन्ध निदेशक अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
14. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
15. 'वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व/आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., ——————।
16. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
17. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
18. निजी सचिव–माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री के सूचनार्थ।
19. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/जयपुर

21/11

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)